Govt. of Bihar

Mines and Geology Department
District- Muzaffarpur

आम सूचना

मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत ईंट भट्ठा व्यवसायी /ईंट भट्ठा मालिक हेतु आम सूचना ।

- एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार लघु खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2019 यथा संशोधित नियमावली 2024 के नियम के तहत निम्नवत प्रावधान किये गये हैं:–
- यह कि ईंट सत्र 2025–26 में जिलान्तर्गत संचालित ईंट भट्ठा मालिकों को यह सूचित किया जाता है कि अब तक जिनके द्वारा ईंट भट्ठा स्वामिस्व (रॉयल्टी) की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उनको दिनांक 20.03.2026 तक आवश्यक रूप से रॉयल्टी की राशि के साथ–साथ सम्बन्धित आयकर एवं डी0एम0एफ0 की राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें।
- बिहार राज्य में SEIAA का गठन हो चुका है, ***पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance)*** शीघ्र प्राप्त कर, जिला खनन कार्यालय, मुजफ्फरपुर में इसकी छायाप्रति जमा करना सुनिश्चित करें।
- प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से CTO प्राप्त कर, जिला खनन कार्यालय से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर, ईंट भट्ठा के संचालन कार्य प्रारंभ करें।
- यह कि ***पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance)*** एवं खनन अनुज्ञप्ति प्राप्ति के उपरान्त ही मिट्टी की उत्खनन प्रकिया अपनाई जायेगी।
- ईंट सत्र 2025–26 के बकाया स्वामिस्व (रॉयल्टी) की राशि का भुगतान 07 (सात) दिनों के अन्दर कराना सुनिश्चित करेंगे।
- वित्तीय वर्ष 2025–26, माह मार्च 2026 तक ईंट भट्ठा स्वामिस्व की राशि निम्नवत है :–

ईंट सत्र	स्वामिस्व की राशि	आवेदन शुल्क	कुल स्वामिस्व की राशि	डी0एम0एफ की राशि	इन्कम टैक्स की राशि
2025-26	129325/-	5000/-	134325/-	2588	2666/-

- वित्तीय वर्ष 2025–26 समापन की ओर है, जिसके कारण जिन ईंट भट्ठेदारों के विरूद्ध खनन स्वामिस्व (रॉयल्टी) की राशि का भुगतान बकाया है, उन्हें यह राशि शीघ्र जमा करने हेतु निदेशित किया जाता है।
- जिन ईंट भट्ठेदारों के विरूद्ध ईंट सत्र 2024–25 एवं 2025–26 के खनन स्वामिस्व (रॉयल्टी) की राशि का भुगतान बकाया है, उनके द्वारा ईंट भट्ठे का संचालन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, उनके विरूद्ध नियमसंगत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इसकी जिम्मेवारी ईंट भट्ठा मालिकों की स्वयं की होगी।

Sd/-
12/3/26

सहायक निदेशक,
खान एवं भूतत्व,
तिरहुत अंचल, मुजफ्फरपुर।